आवासीय भवन के लिए सुनहरा अवसर

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित जलेसर रोड स्थित दौलतपुर आवासीय योजना में आवासीय सम्पत्तियों को निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका तथा आवेदन–पत्र

Prospectus & Application Form for allotment of Residential Properties by Tender-cum-Auction in Daulatpur Residential Schemes of Firozabad-Shikohabad Development Authority

नीलामी की दिनांक

24-09-2018

नीलामी का समय
मध्यान्ह् 12:30 बजे

नीलामी का स्थल
सभागार
कार्यालय, विकास प्राधिकरण,
राजा का ताल तिराहा, फिरोजाबाद।

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद।

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

फिरोजाबाद विकसित क्षेत्र आवासीय भवनों का निविदा–सह–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु नियम एवं शर्तें

1. पात्रताः

(i) कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसका विधिक व्यक्तित्व हो, आवंटन हेतु प्रस्तावित नीलामी में भाग ले सकते है।

(ii) आवेदक/बोलीदाता को आवेदन पत्र के साथ विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर इस आशय का नोटराइज्ड शपथ–पत्र संलग्न करेगा कि उसकी हैसियत ऐसी है कि वह बोली में सफल होने पर सम्पत्ति के आवंटन के फलस्वरूप अपेक्षित भुगतान करने में सक्षम हैं।

(iii) प्रस्तावित कम्पनियों, गैर पंजीकृत फर्म तथा ज्वॉइन्ट हिन्दू फैमिली के नाम सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। ऐसा पाये जाने पर भवन का विक्रय विलेख व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में व्यक्गित रूप में निष्पादित किया जायेगा। भारतीय कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म/कम्पनियां नीलामी में भाग लेने हेतु अधिकृत है। उक्त फर्म/कम्पनियों के पक्ष में भवन का विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया जायेगा। एक बार आंवटन के बाद फर्म/कम्पनी का नाम परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। नीलामी हेतु प्रस्तावित भवनों का विवरण तालिका–1, 2 व 3 में अंकित है।

2. पंजीकरणः

किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/कम्पनी को बोली में भाग लेने की अनुमति तभी दी जायेगी जब वह तालिकानुसार निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, जो कि उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद– शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय एवं फिरोजाबाद में भुगतान योग्य हो, नीलामी की दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 तक पूर्ण रूप से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित आवेदन–पत्र के साथ नीलामी स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराकर टोकन प्राप्त कर लेगा। आवेदन पत्र रू0 100.00 चालान द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फिरोजाबाद के भुगतान पर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 06.09.2018 तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।

3. नीलामी प्रकियाः

(i) बोलीदाता/निविदादाता को विवरण पुस्तिका में सलंग्न आवेदन–पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित कराते हुये निर्धारित धरोहर राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ नीलामी की दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराना होगा, जिसके पूर्ण/सही पाये जाने पर बोली में भाग लेने हेतु टोकन जारी किया जायेगा।

(ii) उपाध्यक्ष/नीलामी अधिकारी सभी भवनों अथवा किसी भी एक भवन की नीलामी जनहित/प्राधिकरण हित में स्थगित पर सकते है।

(iii) भवन की नीलामी आरक्षित दर से अधिक से आरम्भ की जायेगी। दो बोलियों के बीच न्यूनतम अन्तर को नीलामी के समय सूचित किया जायेगा।

(iv) नीलामी में जो सर्वोच्च दरें प्राप्त होगीं उनमें प्राप्त दरों का लीज रेन्ट व भवन/सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार लीज रेन्ट के साथ–साथ देय होगा। बहुमंजिले भवनों के प्रकरण में केवल 10 प्रतिशत लीज रेन्ट बिड मूल्य में जोड़कर भवन का मूल्य निर्धारित किया जायेगा तथा भवन लीज पर ही आवंटित किये जायेगें।

(v) जिस बोलीदाता द्वारा भवन/भवन की बोली दी जायेगी, उसे अपनी बोली वापस लेने का अधिकार नहीं होगा।

(vi) कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा 5 करोड़ से अधिक आरिक्षत मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। धनराशिजमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भवन की बोली निरस्त कर दी जायेगी। नीलामी अधिकारी फॉल ऑफ हैमर पर प्राप्त उच्चतम बोली को नीलामी समिति के माध्यम से भवन की बोली स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संसतुति उपाध्यक्ष फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(vii) जो व्यक्ति/संस्था खुली नीलामी में भाग न लेने हुए अपनी बोली की निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र को विवरण पुस्तिका में उपलब्ध निर्देशों के अनुसार भरेंगे। आवेदक/निविदादाता हस्ताक्षरित निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद के पक्ष में देय तथा पासपोर्ट आकार के

	सत्यापित फोटो के साथ लिफाफे को सील करके प्राधिकरण सभागार में रखी गयी सील बन्द निविदा–पेटी में नीलामी की निर्धारित तिथि को पूर्वान्ह 11.30 बजे तक डालेगा। इसके उपरान्त सील्ड निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। फोटो का सत्यापन करने हेतु राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी बैंक अधिकारी सक्षम होगे।
viii)	निविदा/बोली प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद के पक्ष में देय हो निविदा फॉर्म के साथ सीलबन्द लिफाफे के ऊपर बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किये जायेगे।
(ix)	सील्ड बिड के लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में योजना का नाम, आवदित भवन संख्या एवं आवेदक का नाम व पता अंकित करना आवश्यक होगा। अन्यथा सील्ड बिड खोली नहीं जायेगी।
(x)	यदि कोई निविदा अपूर्ण यथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट, सत्यापित फोटो हस्ताक्षर अथवा वांछित प्रपत्रों के बिना होंगी तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदाओं/बोलियो जिसमें उच्चतम निविदा/बोली भी सम्मिलित होगी, को अस्वीकार कर दें।
(xi)	यदि आवेदक की निविदा/बोली निरस्त अथवा अस्वीकार होती है तो धरोहर राशि बिना व्याज के वापिस कर दी जायेगी।
(xii)	योजना के अन्तर्गत किसी वर्ग अथवा व्यक्ति विशेष को आवंटन में कोई वरीयता नहीं दी जायेगी।
xiii)	निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा नियत दिनांक तथा समय तक निविदा पेटी में डाल दी गयी है। डाक द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
xiv)	परिसम्पत्ति का आरक्षित मूल्य निर्धारित है आरक्षित दर अथवा उससे अधिक मूल्य अंकित करने पर ही आवेदक आंवटन के लिए अर्ह माना जायेगा।
(xv)	आवेदक को निविदा दर अंकों तथा शब्दों में लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जा सकता है। अंको तथा शब्दों में निविदा दर भिन्न होने की स्थिति में शब्दों में लिखी गयी निविदा दर मान्य होगी।
xvi)	उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को नीलामी समिति की संस्तुतियों को मानने या न मानने एवं किसी भी बोली को स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। उपाध्यक्ष के निर्णय पर किसी भी बोलीदाता द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकेगी।
xvii)	आवंटी द्वारा भवन को बन्धक रखकर ऋण प्राप्त किये जाने में फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु आवंटी को भवन को बन्धक रखने हेतु फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बन्धक रखने की प्रक्रिया में व्यय को आवंटी द्वारा वहन करना होगा।
viii)	कम्पनी/सोसाइटी/फर्म द्वारा आवेदन करने पर आवेदनकर्ता को मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल एवं रेजोल्यूशन लैटर आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने हेतु अथॉरिटी लेटर भी संलग्न करना होगा।
xix)	यदि किसी आवेदक द्वारा स्वंय बोली में भाग न लेकर अपने प्रतिनिधि को इस निमित्त अधिकृत किया जाता है तो उसे विवरण पुस्तिका में संलग्न प्रारूप पर प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(xx)	आवेदनकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रिया की जानकारी नीलामी शुरू होने से पूर्व अवश्य कर लें। नीलामी के समय अथवा नीलामी के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। नीलामी की सम्पत्ति का कोई अतिरिक्त सुधार/विकास करने का उत्तरदायित्व फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का नहीं होगा। सम्पत्ति "जहाँ है–जैसा है" के आधार पर नीलाम की जायेगी।
4. आवंटन प्रक्रियाः	
(i)	बोलीदाता/निविदादाता को विवरण पुस्तिका में सलंग्न आवेदन–पत्र को पूर्ण रूप से भरकर फोटो सत्यापित कराते हुये निर्धारित धरोहर राशि को बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ नीलामी की दिनांक को प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक बोली स्थल पर स्थित टोकन काउन्टर पर जमा कराना होगा, जिसके पूर्ण/सही पाये जाने पर बोली में भाग लेने हेतु टोकन जारी किया जायेगा।
(ii)	आवंटन निविदा तथा बोली दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर किया जायेगा। सर्वप्रथम नीलामी हेतु खुली बोली सम्पन्न की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा की दर जो भी उच्च होगी, उसी की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा।
(iii)	नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक बिना ब्याज के मूल रूप में वापिस कर दिये जायेगे। सर्वोच्च निविदा/बोलीदाता की धरोहर राशि भवन/सम्पत्ति के मूल्य में समायोजित कर जी जायेगी।

(iv)	सफल आवेदक को आवंटन–पत्र पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
4. भुगतान की प्रक्रिया एवं कब्जा:	
(i)	कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैंमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। धनराशि जमा कराने में असफल होने पर धरोहर राशि जब्त करते हुए भवन की बोली निरस्त कर दी जायेगी।
(ii)	उच्चतम बोलीदाता, जिसकी बोली उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर ली गयी हो, को शेष राशि का भुगतान प्लान–ए अथवा प्लान–बी द्वारा निम्नानुसार करना होगा। **(प्लान–ए)** (ए–1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि रू0 75,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/पे–आर्डर, उपाध्यक्ष, फिरो0–शिको0 विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नाम जो फिरोजाबाद में देय हो जमा करना होगा। (ए–2) फॉल ऑफ हैमर पर–कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोली दाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। (ए–3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि–आवंटन–पत्र की तिथि से 60 दिन के अन्दर बिना ब्याज के। **(प्लान–बी)** (बी–1) नीलामी से पूर्व निर्धारित धरोहर राशि रू0 75,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर उपाध्यक्ष, फिरो0–शिको0 विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नाम जो फिरोजाबाद में देय हो जमा करना होगा। (बी–2) फॉल ऑफ हैमर पर–कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) फॉल ऑफ हैमर पर उच्चतम बोलीदाता को नीलामी तिथि के पश्चात् रू 5 करोड़ तक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक सप्ताह तथा रू 5 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य की सम्पत्ति के प्रकरणों में एक माह के भीतर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई अनुग्रह अवधि देय नहीं होगी। (बी–3) अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि–आवंटन–पत्र की तिथि से 10 वर्षो की किश्तों में 10 प्रतिशत ब्याज सहित ।
(iii)	प्लान–बी के अन्तर्गत किश्त की निर्धारित देय तिथि के बाद 29 दिन का ग्रेस पीरियड अनुमन्य होगा। ग्रेस पीरियड की समाप्ति पर किश्त की देय तिथि से भुगतान की तिथि तक 15.00 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पैनल ब्याज देय होगा। यदि निर्धारित देय तिथि से 03 माह के अन्दर धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो भवन का आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
(iv)	यदि आवंटी प्लान–ए स्वीकार करता है तो भवन का कब्जा आवंटी द्वारा सम्पूर्ण देय रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा। यदि आवंटी प्लान–बी स्वीकार करता है तो आवंटी को भवन का कब्जा कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के उपरान्त रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख निष्पादित करा कर दिया जायेगा।
(v)	बहुमंजिले भवनों का आवंटन लीज होल्ड आधार पर किया जायेगा।
(vi)	यदि आवंटी द्वारा भुगतान प्लान बी का चयन किया जाता है, परन्तु वह आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर सम्पत्ति का सम्पूर्ण मूल्य जमा कर देता है तो आवंटी द्वारा पूर्व में चयन किया गया प्लान बी स्वतः ही प्लान ए में परिवर्तित हो जायेगा।
6. विक्रय–विलेख की शर्तें:	
(i)	आवंटी को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटित भवन/सम्पत्ति का प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर अपने व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। भवन/सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान की तिथि से एक माह के अन्दर विक्रय विलेख/पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निष्पादित कराया जाना अनिवार्य होगा।
(ii)	उक्त सम्पत्ति उच्चतम बोलीदाता को फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटी के रूप में प्रदान की जायेगी। जिसके नियम एवं शर्ते फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटी के पक्ष में निर्धारित प्रपत्र पर किये गये विक्रय विलेख/लीज डीड के आधार पर होगी।
(iii)	आवंटी कब्जा–पत्र जारी होने की तिथि से समय–समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर तथा अन्य सभी कर, जो सरकारी या किसी स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त नियमों, उप नियमों या उपविधियों के अन्तर्गत भारित किये जायें, का भुगतान करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(iv)	भवन की देयता के विरूद्ध बकाया धनराशि को वसूल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को है प्राधिकरण उक्त धनराशि की वसूली के लिए भू–राजस्व की भॉति रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर धनराशि की वसूली कर सकता है।
(v)	किसी भी प्रकार की गलत सूचना या तथ्य छिपाकर भवन आवंटित होने की जानकारी होने पर या किसी भी नियम एवं शर्तो का उल्लंधन करने पर भवन का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं भवन तथा उस पर निर्मित भवन का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापिस ले लिया जायेगा, जिसका कोई भी मुआवजा आवंटी को प्रदान नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के प्रकरणों में भवन के कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि आवंटी को किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
(vi)	निर्धारित विशिष्टियों/मानकों के अनुसार जल आपूर्ति, सीवर, ड्रेनेज एवं विद्युत आपूर्ति की लाईन भवन की सीमा तक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी। भवन पर आन्तरिक विकास कार्य आवंटी को स्वयं करना होगा।
(vii)	भवन का आवंटन "जहॉ है–जैसा है" के आधार पर होगा एवं आवंटी को भवन का कब्जा भी "जहॉ है–जैसा है" के आधार पर दिया जायेगा, जिस पर बाद में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
viii)	यदि किसी कारणवश प्राधिकरण भवन का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है तो आवंटी द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ वापस कर दी जायेगी।
(ix)	बिजली एवं पानी इत्यादि कनेक्शन आवंटी को अपने खर्चे पर लेने होंगे।
(x)	आवंटित सम्पत्ति पर भविष्य में कभी यदि सेवाकर की देयता बनती है तो सेवाकर की धनराशि आवंटी द्वारा अतिरिक्त देय होगी।
(xi)	बहुमंजिले भवनों में छत के ऊपर के तल को बेचने या बनाने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। आवंटी को भवन की छत का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।

7. स्टाम्प एवं अन्य शुल्कः

भवन का रजिस्टर्ड अनुबन्ध विलेख/विक्रय–विलेख निष्पादित कराने में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क एवं अन्य किसी शुल्क का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। आवंटी द्वारा अचल सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने का शुल्क राज्य सरकार, नगर निगम या अन्य कोई शुल्क जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोपित किया जायेगा, स्वंय भुगतान करना होगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण शर्तेः

(i)	नीलामी आवंटन, मानचित्र स्वीकृति, निर्माण आदि से सम्बन्धित किसी भी विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
(ii)	किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में केवल फिरोजाबाद न्यायालय को ही न्याय क्षेत्र का अधिकार प्राप्त होगा।
(iii)	यदि आवंटी द्वारा निर्धारित देय तिथि को भवन का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो निर्धारित देय तिथि से प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर चौकीदारी शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा।

9. समर्पण एवं निरस्तीकरणः

भवन का समर्पण/निरस्तीकरण नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर किया जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जायेगीः–

(i)	यदि उच्चतम बोलीदाता द्वारा फॉल ऑफ हैमर के उपरान्त निर्धारित अवधि के कुल बिड मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि (धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) जमा नहीं करायी जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
(ii)	किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की स्थिति में धरोहर राशि को जब्त करते हुए एवं डिफॉल्टेड राशि पर ब्याज, यदि कोई हो तो, की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जायेगी।
(iii)	यदि आवंटी द्वारा अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि निर्धारित तिथियों में जमा नहीं करायी जाती है तो भवन का आवंटन निरस्त करते हुए धारा–9 (ii) के अनुसार कटौती कर ली जायेगी एवं निरस्तीकरण उपरान्त भवन को नीलामी में प्रस्तावित कर दिया जायेगा।
(iv)	सभी रिफण्ड बिना किसी ब्याज के वापस किये जायेंगे।

उपाध्यक्ष
फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
FIROZABAD-SHIKOHABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
दौलतपुर आवासीय योजना में स्थिति सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन–पत्र
APPLICATION FROM FOR ALLOTMENT OF FLATS IN DAULATPUR RESIDENTIAL SCHEME BY AUCTION

राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो Paste a passport size photo attested by Gazetted Officer/ Public Notary

आवेदन पत्र संख्या :
APPLICATION FROM NO.

1. आवेदक का नामः ....
   Name of Applicant (in block letters)
2. पिता/पति का नामः ....
   Father/Husband's Name :
3. उम्रः ....
   Age
4. पूरा पताः
   Full Address:
   ए. स्थायी पताः ....
   (a) Permanent Address:
   बी. पत्र–व्यवहार का पताः ....
   (b) Correspondence Address:
   सी. टेली फोन नं0 : .... मोबाइल नं0 .... ई–मेल :..................................
   (c) Telephone No./: **Mobile No.:** **E-mail:**
5. व्यवसायः ....
   Occupation:

आवेदित सम्पत्ति का विवरण
Particulars of Property

1. सम्पत्ति संख्याः .... 2. सम्पत्ति का क्षेत्रफल..
   Property Number **Area of Property (Sq. mts.)**
3. योजना एवं ब्लॉक/सेक्टरः ....
   Name of the Colony & Sector
4. भुगतान प्लान का विकल्प (प्लान ए अथवा प्लान बीः ....
   Payment of the Plan adopted (Plan A or Plan B)
5. सम्पत्ति क्रय करने हेतु ऑफर (रू/वर्ग मीटर) (अंकों में): ....
   Offer for purchase of Property (Rs./sq.mt.) (in Words)
6. धरोहर राशि रू0 : ....बैंक ड्राफ्ट सं0.................................. दिनांक.................................. बैंकः..................................
   Earnes Money **Bank Draft No.** **Date** **Bank**

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलाम में एक आवेदक के रूप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन किये जाने हेतु फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंनें उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तो को भली प्रकरण पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तो के अधीन जमा करते हुए अपने स्वंय के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Firozabad-Shikohabad Development Authority, Firozabad for allotment of the property described above, under the Firozabad-Shikohabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and herby/unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by the Authority.

दिनांक................................
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर..
Signature of the bidder

प्रतितस्ताक्षरित..
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)
(नोट–धारा–1 (iii) के अनुसर शपथ–पंत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा)

पदनाम..
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

D:\786 Mudassir\Pramod sir\neelami booklet.doc

फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण

FIROZABAD-SHIKOHABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

दौलतपुर आवासीय योजना में स्थिति सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन–पत्र

APPLICATION FROM FOR ALLOTMENT OF FLATS IN DAULATPUR RESIDENTIAL SCHEME BY AUCTION

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो
Paste a passport size photo attested by Gazetted Officer/ Public Notary

आवेदन पत्र संख्या :
APPLICATION FROM NO.

1. आवेदक का नामः ....
   Name of Applicant (in block letters)
2. पिता / पति का नामः ....
   Father/Husband's Name :
3. बोली स्वंय या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।

ए. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं बोली दिये जाने हेतु एथेरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।

(a) If bid is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company society, firm or trust and authorization letter should be produced.

बी. यदि बोली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।

(b) If the bid is for company, society firm or trust its registration letter should also be produced.

4. उम्रः ....
   Age
5. पूरा पताः
   Full Address:
   ए. स्थायी पताः ....
   Permanent Address:
   बी. पत्र–व्यवहार का पताः ....
   Correspondence Address:
   सी. टेली फोन नं0 : .... मोबाइल नं0 .... ई–मेल : ....
   Telephone No.: **Mobile No.:** **E-mail:**
6. ए. व्यवसायः ....
   Occupation:
   बी. भुगतान प्लान का विकल्प : ....
   Payment plan adopted:
   सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरण : ....
   Particulars of Property:
   1. सम्पत्ति संख्याः .... **Property Number**
   2. सम्पत्ति का क्षेत्रफल.......... **Area of Property (Sq. mts.)**
   3. योजना एवं ब्लॉक / सेक्टरः .... **Name of the Colony & Sector**

   डी. नीलामी का विवरणः
   1. नीलामी की तिथिः .... **Date of Auction**
   2. जमा धरोहर राशि का विवरणः .... **Details of earnest money deposited**
   3. फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद सं0: .... दिनांक .... **F.S.D.A.'S receipt No.** **Dated**

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इस नीलाम में एक आवेदक के रूप में अपने / अपनी कम्पनी / संस्था / फर्म / ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आवंटन कियये जाने हेतु फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद के नियम एवं शर्तो के अन्तर्गत आवेदन किया है। मैंनें उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तो को भली प्रकरण पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तो से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तो के अधीन जमा करते हुए अपने स्वंय के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख कराऊँगा।

I the undersigned being one of the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Firozabad-Shikohabad Development Authority, Firozabad for allotment of the property described above, under the Firozabad-Shikohabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and herby/unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by the Authority.

दिनांक..........
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर..........
Signature of the bidder

प्रतितस्ताक्षरित..........
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)

पदनाम..........
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

(नोट–धारा–1 (iii) के अनुसर शपथ–पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा)

D:\786 Mudassir\Pramod sir\neelami booklet.doc

फिरोजाबाद–शिकोहाबद विकास प्राधिकरण, द्वारा
प्रस्तावित नीलामी में बोली लगाये जाने हेतु प्राधिकार–पत्र

सेवा में,

नीलामी अधिकारी,
फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।

महोदय,

मैंनें फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण दिनांक..................................को नीलाम किये जा रहे भवन संख्या.. योजना .... फिरोजाबाद की नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन किया है।

किन्हीं कारणों वंश मैं उक्त नीलामी में स्वंय भाग नहीं ले पा रहा/रही हूँ। अतः उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु मैं श्री/कु0/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... आयु...वर्ष (लगभग) निवासी .... को जिनके हस्ताक्षर नीचे प्रमाणित किये गये हैं, को नीलामी में बोली देने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ। मेरे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जो भी बोली दी जायेगी वह मुझे पूर्णतया मान्य होगी।

भवदीय :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
नामः
पताः

हस्ताक्षर प्रमाणित